



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार 3 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 12, 1943 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	533-544	3075	भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	725-738	1500	भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत	..	975	भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	607-618	975
			स्टोर्स-पंचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञापित-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

नियुक्ति

30 जून, 2021 ई0

सं0 11/2021/आई/75441/2021—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (7 वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
1	11	598187	श्री सिद्धार्थ गौतम पुत्र श्री उमेश कुमार	20-09-1990	श्री सिद्धार्थ गौतम पुत्र श्री उमेश कुमार, ग्राम-सेनुवरिया, नियर शिव मन्दिर, पोस्ट-मिसरौलिया पूर्व, जनपद-चम्पारण, बिहार, पिन-845415।
2	28	313694	श्री नितीश कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार	06-11-1991	श्री नितीश कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार, ग्राम व पोस्ट-दामोदरपुर, जिला-लखीसराय, बिहार, पिन-811311।

2—प्रस्तर-1 में अंकित उपर्युक्त अभ्यर्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में तत्काल आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त अभ्यर्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

3—प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

4—उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5—समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन ऑफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

02 जून, 2021 ई0

सं0 604/आठ-8-2021-04एलयूसी/2021—चूंकि राज्य सरकार प्रयागराज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्रयागराज महायोजना, 2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" तथा "अमर उजाला" के संस्करण में दिनांक 25 मार्च, 2021 को प्रकाशित करायी गयी थी;

और चूंकि उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त 01 आपत्ति जिस पर उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त निस्तारण आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समिति की आख्या का अवलोकन किया गया एवं तदनुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया, अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) 1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, प्रयागराज विकास क्षेत्रान्तर्गत, प्रयागराज महायोजना, 2021 में अनुसूची में उल्लिखित स्थल के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण हेतु प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति के निर्णय के क्रम में निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	स्थल	मौजा	क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			(वर्ग मी0 में)		
1	खुशरूबाग के पास स्थित भावापुर मुस्तखारजा लीडर प्रेस लेण्ड के भू-खण्ड		37906.00	बस टर्मिनल	आवासीय

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

17 मई, 2021 ई0

सं0 राज्य कर-1-499/11-2021-28/2020—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर को कालम-3 में अंकित पद/स्थान से कालम-4 में अंकित रिक्त पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पूर्व तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	नीरज कुमार वर्मा/ 2431/124658	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेन्ट कमिश्नर खण्ड-13, आगरा	डिप्टी कमिश्नर (असिस्टेन्ट/टी0आर0ओ0) प्रयागराज।

1	2	3	4
सर्वश्री-			
2	राजीव कुमार-III / 2432 / 124633	नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर पदोन्नति पूर्व तैनाती-असिस्टेंट कमिश्नर सचल दल, वाणिज्य कर, महामाया नगर (हाथरस)।	डिप्टी कमिश्नर (असिस्टेंट / टी0आर0ओ0) वाराणसी।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

नियुक्ति

09 जून, 2021 ई0

सं0 रा0क0-451 / 11-2021-34 / 2020-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यकर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) पर नियुक्त किया जाता है-

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची क्रमांक
1	2	3	4	
सर्वश्री / सुश्री-		सर्वश्री-		
1	प्रीति रावत / 076373	तेज सिंह रावत	Behbalpur, Fatehpur Billoch, Faridabad, Haryana-121004	05
2	प्रगति दीक्षित / 392593	दयाशंकर दीक्षित	Rampur, Agarsand, Mirzapur, Uttar Pradesh-231305.	17

उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है-

(1) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त उनका स्थाईकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा। उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित), के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं असिस्टेंट कमिश्नर संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें उ0प्र0 बिक्रीकर सेवा नियमावली, 1983 (यथा संशोधित) तथा अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

2-अभ्यर्थी को यह आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति पर निम्नलिखित सूचनायें/प्रमाण-पत्र शासन के राज्य कर अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तुत करें-

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

- (घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।
 (च) संलग्न प्रपत्र में अपने निजी विवरण।
 (छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।
 (ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।
 (झ) इण्डियन अफिशियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

3-अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर ऊपर प्रस्तर-2 में अपेक्षित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा प्रस्तर-2 में अपेक्षित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रति शासन के राज्य कर अनुभाग-1, उ0प्र0, शासन को भी उपलब्ध करा दी जाये। तैनाती के स्थान की सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दी जायेगी। यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु कमिश्नर, वाणिज्य कर के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

4-अभ्यर्थी की उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
 संजीव मित्तल,
 अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

01 जून, 2021 ई0

सं0 313-18-1-21-25(43)/2016टी0सी0-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती का स्थान/जनपद
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-	
1	ईशिता मित्तल	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर।
2	निहारिका जैन	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, रामपुर।
3	आत्मदेव शर्मा	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, पीलीभीत।
4	रुचि शुक्ला	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, कन्नौज।
5	नवीन कुमार सिंह	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, रायबरेली।
6	केशव यादव	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, सोनभद्र।

1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-	
7	प्रबल प्रताप सिंह	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, फतेहपुर।
8	खुशबू सिंह	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, संतकबीर नगर।
9	अनुपम त्रिपाठी	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, महाराजगंज।
10	संदीप कुमार सरोज	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, गोण्डा।

2-उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त उनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा। उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

08 जून, 2021 ई०

सं० 1627467/2021-लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उ०प्र० कृषि विपणन सेवा श्रेणी-2 के सीधी भर्ती के 01 अनारक्षित पद पर नियमित चयन हेतु सम्पन्न साक्षात्कार के उपरान्त चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी की उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र संख्या 59/02डी०आर०/सेवा-1/2018-19, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 द्वारा संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके आधार पर राज्यपाल महोदया निम्न अभ्यर्थी को सहायक कृषि विपणन अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-3 के सादृश्य वेतनमान रु० 15,600-39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन रु० 5,400 (लेबल-10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उल्लिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की एवं सहायक कृषि विपणन अधिकारी, मेरठ के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम/(रजिस्ट्रेशन नं०)	गृह जनपद	वर्तमान पता/पत्राचार पता	स्थायी पता	नियुक्ति का पद	प्रथम तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राहुल यादव पुत्र श्री बलिकरन सिंह यादव/ रजि० नं० (53400170026)	गाजीपुर	121 ए, ग्राम- श्रीगंज, पो०- नंदगंज, जनपद- गाजीपुर, उ०प्र०- 233302	ग्राम-श्रीगंज, पो०- नंदगंज, जनपद- गाजीपुर, उ०प्र०- 233302	सहायक कृषि विपणन अधिकारी	सहायक कृषि विपणन अधिकारी, मेरठ

2-संबंधित अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3-उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4-उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे उ०प्र० सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र दो ऐसे राजपतित्रत अधिकारी से हो,

जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को विलम्बतम 30 दिन के अन्दर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

5—यह भी स्पष्ट है कि यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अविध में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नही उससे समय बढ़ाने का प्रार्थना-पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो निर्धारित तिथि के बाद उसका अभ्यर्थन समाप्त माना जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्धारित समय के अन्दर अभ्यर्थी से समय बढ़ाने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अधिक से अधिक एक माह का समय प्रार्थना-पत्र पर समुचित कारण दिये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा और उक्त बढ़ाई गई अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थन स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

6—संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय—ज्ञाप

08 जून, 2021 ई0

सं0 995/12-1-21-608/17—श्री राज्यपाल महोदय, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रु0 15,600-39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) के अन्तर्गत उप सम्भागीय कृषि प्रसाद अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	गृह जनपद	वर्तमान पता	स्थायी पता	नई तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
		सर्वश्री—				
1	1	अर्पिता राय पुत्री श्री एलसी0 राय	कानपुर	एल0सी0 राय, प्लाट नं0-128 ओल्ड शिवली रोड, नियर पोस्ट आफिस, गली नं0-2, कानपुर (अर्बन), उ0प्र0-208017	एल0सी0 राय, प्लाट नं0-128 ओल्ड शिवली रोड, नियर पोस्ट आफिस, गली नं0-2, कानपुर (अर्बन), उ0प्र0-208017	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सोरांव, प्रयागराज

1	2	3	4	5	6	7
		सर्वश्री-				
2	2	सचिन कुमार मिश्रा, पुत्र श्री उमेश चन्द्र मिश्रा	वाराणसी	उमेश चन्द्र मिश्रा, फ्लैट नं0-67, नगर निगम कालोनी, शिवपुर, वाराणसी, उ0प्र0-221003	उमेश चन्द्र मिश्रा, फ्लैट नं0-67, नगर निगम कालोनी, शिवपुर, वाराणसी, उ0प्र0-221003	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, गाजीपुर
3	3	विवेक दुबे, पुत्र स्व0 संजय दुबे	गोरखपुर	म0नं0-बी-368, आवास विकास कालोनी, नियर काली मन्दिर, शाहपुर, पो0-गीता वाटिका, गोरखपुर, उ0प्र0-273006	म0नं0-बी-368, आवास विकास कालोनी, नियर काली मन्दिर, शाहपुर, पो0-गीता वाटिका, गोरखपुर, उ0प्र0-273006	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, नौगढ़ सिद्धार्थनगर
4	4	निरूपमा सिंह पुत्री श्री विनोद सिंह	मऊ	6ए, बकवल नियर प्राइमरी स्कूल, मऊ, उ0प्र0-275101	6ए, बकवल नियर प्राइमरी स्कूल, मऊ, उ0प्र0-275101	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, वाराणसी
5	5	अंकिता यादव पुत्री श्री गौरव प्रकाश	मऊ	सत्य प्रकाश, क्यू0एन0 244डी नियर सेन्ट जॉन स्कूल, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी, उ0प्र0-221004	अजय कुमार यादव, 88 बीबीपुर, सिधावल, मऊ, उ0प्र0-221706	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, बलिया
6	6	निखिल देव तिवारी पुत्र श्री देवेन्द्र देव तिवारी	फर्रुखाबाद	तिवारी कृषि यंत्र, कादरी गेट, फर्रुखाबाद, उ0प्र0- 209625	तिवारी कृषि यंत्र, कादरी गेट, फर्रुखाबाद, उ0प्र0- 209625	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, लखीमपुर
7	7	शिव शंकर चौधरी, पुत्र श्री राम बच्चा चौधरी	बहराइच	वसंत हास्टल, रूम नं0- 59, आईएआरआई, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110012	राम बच्चा चौधरी, 65 अपोजिट एच0डी0एफ0सी0 बैंक, मो0-घसयारी पुरा, गोण्डा रोड, बहराइच, उ0प्र0- 271801	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, गोण्डा
8	8	विनीत कुमार पुत्र श्री अरुण कुमार	कानपुर देहात	63, चकचलपुर, पुखरायां, कानपुर (देहात), उ0प्र0- 209111	63, चकचलपुर, पुखरायां, कानपुर (देहात), उ0प्र0- 209111	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, हरदोई
9	9	अन्वेषा देव, पुत्री श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	सुल्तानपुर	539, विद्या भवन लाल डिग्गी, सुल्तानपुर, उ0प्र0-228001	539, विद्या भवन लाल डिग्गी, सुल्तानपुर, उ0प्र0- 228001	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी

1	2	3	4	5	6	7
		सर्वश्री-				
10	11	कुमारी, इरम, पुत्री श्री निजामुद्दौला	बलिया	नियर लिमरा कम्प्यूटर, बलिया बहेरी यू0आर0एफ0, प्रेमचक बलिया, बलिया, उ0प्र0- 277001	नियर लिमरा कम्प्यूटर, बलिया बहेरी यू0आर0एफ0, प्रेमचक बलिया, बलिया, उ0प्र0- 277001	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, देवरिया
11	12	सतीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	अलीगढ़	महेन्द्र सिंह, बहारपुर, अलीगढ़, उ0प्र0-202132	महेन्द्र सिंह, बहारपुर, अलीगढ़, उ0प्र0-202132	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, फर्रुखाबाद
12	13	उदय शंकर सिंह, पुत्र श्री शिव दयाल सिंह	गोण्डा	उदया म0नं0-83, ग्राम- कचरौली, गोण्डा, उ0प्र0- 271312	उदया म0नं0-83, ग्राम-कचरौली, गोण्डा, उ0प्र0- 271312	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, बहराइच
13	15	दीपचन्द्र चौरसिया पुत्र श्री दयाशंकर	अम्बेडकर नगर	दया शंकर, नन्दपुर, केदार नगर, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0- 224230	दया शंकर, नन्दपुर, केदार नगर, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224230	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, सुलतानपुर
14	16	शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री उदय राज सिंह	जौनपुर	उदय राज सिंह, ग्राम- दुरकौली, पोस्ट- सिंगरामऊ, जौनपुर, उ0प्र0-222175	उदय राज सिंह, ग्राम-दुरकौली, पोस्ट-सिंगरामऊ, जौनपुर, उ0प्र0- 222175	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, अयोध्या
15	17	मनोज रावत पुत्र श्री दिवान सिंह रावत	अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	दीवान सिंह रावत, म0नं0-89, ग्राम वालना, पो0 रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तरांचल-263645	दीवान सिंह रावत, म0नं0-89, ग्राम वालना, पो0 रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तरांचल-263645	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, बिजनौर
16	18	अविशांक सिंह चौहान पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान	इटावा	22 हनुमान नगर, गोले का मंदिर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474005	ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम व पोस्ट-चांदपुर, इटावा, उ0प्र0- 206125	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, कन्नौज

1	2	3	4	5	6	7	
		सर्वश्री—					
17	20	आलोक कुमार यादव, पुत्र श्री समर बहादुर यादव	प्रयागराज	39, विमल कुंज कालोनी, फरीदीनगर, लखनऊ, उ०प्र०-226015	अलोक कुमार यादव, शंकरपुर, लक्ष्यगृह, हंडिया, प्रयागराज, उ०प्र०-221503	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, प्रतापगढ़	
18	22	जितेन्द्र कुमार, श्री अतर सिंह	पुत्र अलीगढ़	अतर सिंह, भाईयन, अलीगढ़, उ०प्र०-202124	अतर सिंह, भाईयन, अलीगढ़, उ०प्र०-202124	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, एटा	
19	23	संतोष कुमार, श्री झगडू लाल	पुत्र हमीरपुर	संतोष कुमार, बसीला, हमीरपुर, उ०प्र०-210431	संतोष कुमार, बसीला, हमीरपुर, उ०प्र०-210431	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर, बांदा	

2—संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3—उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4—उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उ०प्र० सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु कृषि निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को विलम्बतम् 01 माह के भीतर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

5—संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति/तैनाती

31 मई, 2021 ई०

सं० 623/76-4-2021-2/4(14)/2018—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवानियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री यादवेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद जौनपुर को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग (वेतनमान रु० 56,100-1,77,500, पे लेवल-10) के पद पर

पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नत करते हुये लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में तैनात/सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता, श्री सिंह की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

सं0 624(1)/76-4-2021-2/4(14)/2018—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवानियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद जौनपुर को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे लेवल-10) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नत करते हुये लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में तैनात/सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता, श्री सिंह की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

सं0 625(1)/76-4-2021-2/4(14)/2018—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवानियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री रामजी, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद सोनभद्र को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे लेवल-10) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नत करते हुये लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में तैनात/सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता, श्री रामजी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

सं0 626(1)/76-4-2021-2/4(14)/2018—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवानियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री मुरारी यादव, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद चन्दौली को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे लेवल-10) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नत करते हुये लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में तैनात/सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता, श्री मुरारी यादव की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

सं0 627(1)/76-4-2021-2/4(14)/2018—उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग, अभियन्ता सेवानियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद बहराइच को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे लेवल-10) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नत करते हुये लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में तैनात/सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता, श्री रमेश चन्द्र की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

09 जून, 2021 ई0

सं0 7/2021/331/84-1-2021-35/2016—लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन/(दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर चयनित श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र श्री कोमल यादव को श्री राज्यपाल सहायक नियंत्रक ग्रेड-1, विधिक माप विज्ञान के पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन ग्रेड-3, रु0 15,600-39,100 तथा ग्रेड पे रु0 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हुये प्रयागराज मण्डल में तैनात करती हैं।

2—श्री यादव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की विहित परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3—श्री यादव को उक्त वेतन बैण्ड में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

4—श्री यादव की नियमानुसार प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा।

5—श्री यादव की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावदिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त,
अनु सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार 3 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 12, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

09 दिसम्बर, 2020 ई०

सं० 5140/जी०-155/67(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं०-5,1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं०-23/1/1-5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं:

ग्रामों की सूची

क्र०	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सीतापुर	बिसवां	1-भगवन्तापुर 2-मनिकापुर 3-रसूलपुर हरदोपट्टी 4-सलेमपुर

सं० 5142/जी०-152-ए/68-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ०प्र० अधिनियम सं०-5,1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं०-23/1/1-5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद सुलतानपुर के ग्राम कस्बा सुलतानपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 5143/जी०-215/62-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ०प्र० अधिनियम सं०-5,1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं०-23/1/1-5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सरायलुहानी उर्फ दिउरिया जोकि कि धारा 4-क(2) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 11 जुलाई, 2014 में सरायलुहानी उर्फ दिउरिया के रूप में विज्ञापित किया गया, में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5144/जी0-236/63(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम खानावाली दहलावाली कोटजुवाना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5145/जी0-213/63-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासगंज, जनपद कासगंज के ग्राम बसन्त नगर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5146/जी0-152/90/2011—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ, जनपद सलतानपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं:

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सुलतानपुर	लम्भुआ	1—मतलूपुर 2—लच्छाचक

सं0 5147/जी0-152/90/2011(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम विशुनदेवपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5148/जी0-168/59-15 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खानानपुर जोकि धारा 4-क(2) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति

दिनांक 01 मई 2018, में खनानपुर के रूप में विज्ञापित किया गया, में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5149/जी0-151/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर के ग्राम मौ0 अलीपुर माधों बी0ए0 में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5150/जी0-155/67—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम अकवापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

10 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5173/जी0-161/59-2002—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील घनघटा, जनपद संतकबीर नगर के ग्राम करियाजोत तप्पा सेमरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5174/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मटियरिया तप्पा चंवर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

21 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5275/जी0-166-A/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5,1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सरैया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 मार्च, 2021 ई0

सं0 1854/जी0-15/54/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के ग्राम निरहीगढ़ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1855/जी0-153/61-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम मिर्जापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1856/जी0-169/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील राजातालाब, जनपद वाराणसी के ग्राम खजुरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1860/जी0-250/64/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर के ग्राम मन्धौर मुस्तहकम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1862/जी0-धारा-6(1)/2018-19(IV)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन

सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0 ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के ग्राम मोहम्मदाबाद में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 676/जी0-610/2016-17 दिनांक 09 फरवरी, 2016 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1867/जी0-164/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0 ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के ग्राम अमवां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 3886/जी0-164/59-06, दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1875/जी0-157/65-08(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, जनपद देवरिया के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	देवरिया	भाटपाररानी	1—खेमछपरा तप्पा गौतमा 2—प्रतापछापर तप्पा सोहनपुर

सं0 1876/जी0-266/56-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा भासनादे 1 सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के ग्राम करहिया तप्पा मराछीचन्दौर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं। यह विज्ञप्ति रिट याचिका संख्या 307/रिट-बी0/2020 राम सिंहासन बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

सं0 1877/जी0-181/66/2020-21-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	गोरखपुर	खजनी	1-छितौनीभीम तप्पा बेलघाट 2-गौरगंज तप्पा बेलघाट

सं0 1878/जी0-229/62-06-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	अमरोहा	हसनपुर	1-मंगरौला 2-पीपली दाउद

सं0 1879/जी0-166-ए/70/2019-20-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मधुवन, जनपद मऊ के ग्राम सिसवा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1898/जी0-233/2017-18-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शाहाबाद, जनपद हरदोई के

निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	हरदोई	शाहाबाद	1—महमूदपुर खुर्द 2—चठिया बुजुर्ग

24 मार्च, 2021 ई0

सं0 1906/जी0-161/59-2002—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील घनघटा, जनपद संतकबीर नगर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	संतकबीर नगर	घनघटा	1—नन्हियाजोत तप्पा कोचरी 2—नगहरा तप्पा सिरसी

सं0 1907/जी0-161/59-2002—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा

प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील घनघटा, जनपद संतकबीर नगर के ग्राम लौकिहा तप्पा शिवबखरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1908/जी0-161/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांदा, जनपद बांदा के ग्राम जखौरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1909/जी0-48/54-80—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	आजमगढ़	सदर	1—पगरा 2—मिर्जापुर

05 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 1988/जी0-250/64-06—रिट याचिका संख्या 2432/बी0/2019 रविन्द्र सिंह व 28 अन्य बनाम उत्तर

प्रदेश राज्य व 04 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4851/वि0प्र0/सा0, दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा ग्राम टावर अहतमाल व टावर मुस्तकम, परगना सरसावां, तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची व अन्य का प्रत्यावेदन दिनांक 22 अप्रैल, 2019 व 19 जनवरी, 2021 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 8313/आई0 ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2656/जी0-610/2012, दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ-

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सहारनपुर	नकुड़	1-टावर अहतमाल 2-टावर मुस्तकम

12 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 2183/जी0-167-A/2020-21-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के ग्राम बरवारसूलपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2184/जी0-181/66/2020-21-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं-

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	गोरखपुर	खजनी	1-विधनापार तप्पा बेलघाट 2-रकौली तप्पा खजुरी

सं0 2185/जी0-155/59-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम नाहरबूटा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2187/जी0-151/65-06-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना हवेली, जनपद जौनपुर के ग्राम बिरहदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

30 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 2302/जी0-43/2020-21-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील देवबन्द वर्तमान तहसील रामपुर मनिहारान, परगना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर के ग्राम चकवाली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2303/जी0-157/65/2019-20-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम ढका ता0 उजेरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2304/जी0-237/63-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पीलीभीत, जनपद पीलीभीत के ग्राम हरकिशनापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2305/जी0-238/63-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के ग्राम बहादुरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2306/जी0-42/54-81-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शाहगंज, परगना अंगुली, जनपद जौनपुर के ग्राम पाराकमाल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2307/जी0-361/60-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना सरेमू, जनपद जौनपुर के ग्राम कुरेथू में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2308/जी0-163/59(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना गोपामऊ, जनपद हरदोई के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	हरदोई	सदर	1—जलालपुर 2—मुरवाँ

सं0 2309/जी0-170/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिलग्राम, परगना साण्डी, जनपद हरदोई के ग्राम मदारा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2310/जी0-151/65-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के ग्राम मल्लावाँ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2311/जी0-262/56-82—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिरौलीगौसपुर, परगना बदोसरॉय, जनपद बाराबंकी के ग्राम मरकामऊ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2312/जी0-229-ए/62-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धनौरा, जनपद अमरोहा के ग्राम रसूलपुर भांवर मु0 में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2313/जी0-351/60-90—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा

प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बलिया, परगना कोपाचीट शर्की, जनपद बलिया के ग्राम महरैई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2314/जी0-161/59-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती, परगना महुली पश्चिम, जनपद बस्ती के ग्राम बानपुर तप्पा कबरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2315/जी0-159/68-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर, परगना माहुल, जनपद आजमगढ़ के ग्राम बसहीअशरफपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2316/जी0-229/62-2015-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम बीझलपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

11 मई, 2021 ई0

सं0 2328/जी0-249/64-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम कलन्दरगढ़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2329/जी0-364/60-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुजफ्फरनगर, परगना पुरछपार, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गोधना में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2330/जी0-354-ए/60-15(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील शिकोहाबाद वर्तमान तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम अफजलपुर इमलिया जोकि धारा-4-क (2) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 28 फरवरी, 2009 में अकबरपुर उभिऊ के रूप में विज्ञापित किया गया, में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2331/जी0-161-ए/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर, जनपद रायबरेली के ग्राम पहाड़पुर कासो में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2332/जी0-157/65-08(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली, जनपद देवरिया के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं-

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	देवरिया	भाटपाररानी	1-गोपालपुर तप्पा घाटी 2-जंजीरहा तप्पा सोहनपुर

सं0 2333/जी0-161/69-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बांदा, जनपद बांदा के ग्राम कमनौड़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2334/जी0-354/60-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील शिकोहाबाद वर्तमान तहसील सिरसागंज, परगना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम कौरारी (खेड़ा) जोकि धारा-4-क (2) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 28 फरवरी, 2009 में कौरारी के रूप में विज्ञापित किया गया, में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2335/जी0-170/65-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिलग्राम, परगना कछन्दऊ, जनपद हरदोई के ग्राम हरपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2336/जी0-175/59-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर, परगना इकौना, जनपद बहराइच के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं—

ग्रामों की सूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	बहराइच	पयागपुर	1—बनघुसरा 2—चन्दईपुर

सं0 2337/जी0-229/62-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम कासमाबाद ऐ0 में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2338/जी0-154/70—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना उतरौला, जनपद बलरामपुर के ग्राम नन्दौरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2339/जी0-157/65-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली, जनपद देवरिया के ग्राम बन्दीभीसा तप्पा घाटी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2340/जी0-360/60-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अतरौली, परगना गंगीरी, जनपद अलीगढ़ के ग्राम नवीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2341/जी0-329/58-87—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील शिकारपुर, परगना पहासू, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अजीजाबाद में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2342/जी0-181/66(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम कुरहरी तप्पा नकौड़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2343/जी0-170/65/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सवायजपुर, परगना साण्डी, जनपद हरदोई के ग्राम पलिया पूरब पंचशाला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2344/जी0-33/2018-19(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हापुड़, जनपद हापुड़ के ग्राम अयादनगर शुमाल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2345/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, परगना मगहर पश्चिम, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भटपुरवा तप्पा रूधौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार 3 जुलाई, 2021 ई० (आषाढ़ 12, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ

22 जून, 2021 ई०

सं० 16/न०प०मधु०/2021-22-संख्या 96/न०प० मधुबन, मऊ/2019-20 शासनादेश संख्या 406/नौ-9-1997-95 जनरल/95, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर-6 में पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची-1 अ-प्रकोर्ण (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत मधुबन, मऊ अपनी सीमा के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर्स और सब स्टेशनों पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली हेतु नियमावली वर्ष 2020 बनाये जाने हेतु उपविधि का निम्न पाण्डुलेख धारा 298(1) के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार कर दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" दिनांक 25 नवम्बर, 2019 व "हिन्दुस्तान" दिनांक 25 नवम्बर, 2019 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस किसी व्यक्ति को उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत मधुबन, मऊ के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः कार्यालय नगर पंचायत मधुबन, मऊ बोर्ड की बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को यह अपने मूल रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृत किया गया। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन विनियमन तथा नियंत्रण नियमावली, 2020

उपविधि

1-संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-(क) यह उपविधि नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ के सीमा अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन पर किराया निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2020 कहलायेगी।

2-परिभाषायें-जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगरपंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, मऊ से है।

(ग) "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, मऊ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, मऊ के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ङ) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, मऊ के अधिशाली अधिकारी से है।

(च) "किराया" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित किराया से है।

(छ) "ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन" का तात्पर्य विद्युत विभाग द्वारा नगर पंचायत मधुबन, मऊ की सीमान्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन से है।

3-नगर पंचायत मधुबन, मऊ द्वारा केवल उन्हीं ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन पर वार्षिक किराया अधिरोपित कर विद्युत विभाग से वसूली करेगी अथवा बिजली के बिल में उक्त धनराशि समायोजित करेगी, जो ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थापित होंगे।

4-नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया प्रतिवर्ष प्रति वर्ग फुट की दर से निर्धारित कर वसूल या समायोजित करेगी।

5-वार्षिक मांग की कुल धनराशि एक मुश्त सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर की अंतिम तिथि तक जमा करने पर कुल धनराशि का 05 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी,

परन्तु 31 मार्च के उपरान्त कुल मांग की धनराशि का 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।

प्रतिबन्ध—यदि ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन पर वार्षिक किराया मांग की धनराशि निदेशालय/शासन स्तर पर देय विद्युत बिलों में समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी, तो मांग की धनराशि में छूट तथा विलम्ब शुल्क प्रभावी नहीं होगी।

6-ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन पर वार्षिक किराया की दर निम्न प्रकार होगी—

क्र० सं०	किराया के मद का नाम	किराये की दर रुपये में
1	ट्रांसफार्मर्स/सबस्टेशन	18 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष

उपरोक्त किराया के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि वह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित अथवा स्थगित न कर दिया जाये। किराया से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले वादों का न्याय क्षेत्र जनपद, मऊ होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने वाले दण्ड के भागी होंगे, जो रु० 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी, अपराध करता रहा है, तो रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जा सकता है।

माधुरी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मधुबन,
जनपद मऊ।

कार्यालय, नगरपंचायत मधुबन, जनपद मऊ

22 जून, 2021 ई0

सं० 18/न०प०मधु०/2021-22-नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, सूची-1 की उपसूची "ज" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत मधुबन की सीमान्तर्गत स्थानों पर स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अन्य गैर सरकारी प्रचार-प्रसार सम्बन्धी विज्ञापन/होर्डिंग पर शुल्क की वसूली हेतु नियमावली वर्ष 2020 बनाये जाने हेतु उपविधि का निम्न पाण्डुलेख धारा 298(1) के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार कर दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" दिनांक 25 नवम्बर, 2019 व "हिन्दुस्तान" दिनांक 25 नवम्बर, 2019 में

प्रकाशन इस आशय से किया गया की जिस किसी व्यक्ति को उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत मधुबन, मऊ के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः कार्यालय, नगर पंचायत मधुबन, मऊ बोर्ड की बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को यह अपने मूल रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नियमावली

1—**संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ की विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर आदि पर शुल्क वसूली नियमावली कहलायेगी।

2—**प्रसार**—इसका प्रसार नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ की सम्पूर्ण सीमा में होगा।

3—नगर पंचायत मधुबन, मऊ की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मधुबन नगर पंचायत सीमा से है।

4—‘प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष’ का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

5—‘अधिशासी अधिकारी’ का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

6—नगर पंचायत मधुबन की सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति, कम्पनी, राजनीतिक व्यक्ति/पार्टियां अपना विज्ञापन/होर्डिंग लगाने से पूर्व नगर पंचायत की अनुमति के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त ही विज्ञापन/होर्डिंग लगायेंगे।

7—विज्ञापन/होर्डिंग आदि लगाने हेतु नगर पंचायत द्वारा स्थान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

8—किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा आपत्ति आने पर विज्ञापन/होर्डिंग को उसके स्वामी द्वारा तत्काल हटाना होगा।

9—किसी भी प्रकार के अश्लील, अभद्र विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

10—ईको-फ्रेंडली एवं स्वास्थ्य कर विज्ञापन को प्राथमिकता दी जायेगी।

11—विज्ञापन/होर्डिंग हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के मांगने पर दिखायेंगे।

12—नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ को अपनी व्यवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार लगाये गये शुल्क के प्रत्यक्ष रूप से वसूलने के स्थान पर सार्वजनिक नीलामी में, निर्धारित अवधि के लिए ठेके पर देकर ठेकेदार के माध्यम से वसूली कराने का अधिकार होगा एवं ऐसी दशा में ठेकेदार के माध्यम से करायी गयी वसूली उपरोक्त समान नियमों के अधीन होगी।

13—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि पुनरीक्षण सम्भव नहीं हो सका तो प्रत्येक 02 वर्षों में निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

14—सरकारी विभागों/सरकारी कार्यों हेतु लगाये गये विज्ञापन/होर्डिंग आदि पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

15—निर्धारित किये गये शुल्क का विवरण निम्नवत् है—

(1) दोहरी घाट नगर द्वार सीमा से बनियाबान तिराहे तक—

[क] दिवार पर वॉल राइटिंग	— रु0 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
[ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार-प्रसार	— रु0 400 प्रतिवर्ष

- [ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन — रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- (2) घोसी नगर द्वार सीमा से बनियाबान तिराहे तक—**
- [क] दिवार पर वॉल राइटिंग — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल
माध्यम से प्रचार-प्रसार — रु० 400 प्रतिवर्ष
- [ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन — रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- (3) बनियाबान तिराहे से दुबारी मोड़ तिराहे तक—**
- [क] दिवार पर वॉल राइटिंग — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल
माध्यम से प्रचार-प्रसार — रु० 400 प्रतिवर्ष
- [ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन — रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- (4) दुबारी मोड़ से नगर पंचायत (बवला पुल) सीमा तक—**
- [क] दिवार पर वॉल राइटिंग — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल
माध्यम से प्रचार-प्रसार — रु० 400 प्रतिवर्ष
- [ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन — रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- (5) दुबारी मोड़ तिराहे से बेलथरा रोड मार्ग पर स्थित नगर द्वार तक—**
- [क] दिवार पर वॉल राइटिंग — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल
माध्यम से प्रचार-प्रसार — रु० 400 प्रतिवर्ष
- [ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन — रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- (6) सुग्गी चौरी रोड पर स्थित बेलथरा रोड मार्ग से नगर पंचायत सीमा तक—**
- [क] दिवार पर वॉल राइटिंग — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल
माध्यम से प्रचार-प्रसार — रु० 400 प्रतिवर्ष
- [ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन — रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
- [घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार — रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

(7) मधुबन-दोहरी घाट रोड से भैरो पुर मार्ग पर स्थित भैरो पुर तिराहे से नगर पंचायत सीमा तक—

[क] दिवार पर वॉल राइटिंग	— रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
[ख] इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार-प्रसार	— रु० 400 प्रतिवर्ष
[ग] प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन	— रु० 300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
[घ] पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार	— रु० 200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

नोट—समय-समय पर विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्गत वाहनों पर नगर पंचायत, मधुबन द्वारा तत्समय निर्धारित शुल्क वसूला जायेगा।

उपरोक्त कार्यों को करने हेतु निर्धारित शुल्क नगर पंचायत में जमा करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शुल्क की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली की जायेगी।

विवाद का निस्तारण—विज्ञापन/होर्डिंग सम्बन्धी किसी भी विवाद का निस्तारण अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिकासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा ऐसे विवाद जिसमें सिद्ध हो जायेगा कि विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क में चोरी की गयी है तो नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क का 10 गुना सम्बन्धित विज्ञापन/होर्डिंग के स्वामी/इंचार्ज/संस्था से वसूल किया जायेगा। अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिकासी अधिकारी को ही प्राप्त होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत मधुबन यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर रु० 500.00 (पाँच सौ रुपये मात्र) तक दण्ड दिया जा सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड जो रु० 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है जो प्रथम दोष निर्णय की तिथि से अपराधी अपराध करता रहेगा, तो दिया जायेगा।

माधुरी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मधुबन,
जनपद मऊ।

कार्यालय, नगरपंचायत मधुबन, जनपद मऊ

22 जून, 2021 ई०

सं० 20/न०प०मधु०/2021-22—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) व अन्य अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत मधुबन सीमान्तर्गत भवन के निर्माण को नियन्त्रण करने के लिये पुनः निर्माण, संशोधन, परिवर्तन के सम्बन्ध में नगरपालिका की धारा 301(2) के अन्तर्गत तैयार करके दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 का दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" व "हिन्दुस्तान" दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 में विहित रीति से तैयार करके प्रकाशित की गयी। जिन व्यक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, उन व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमन्त्रित किया गया था। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई।

अतः नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ बोर्ड की बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को यह अपने मूल रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृत किया जाता है यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

1—**संक्षिप्त नाम व विस्तार**—यह उपविधि नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ की भवन निर्माण उपविधि सन् 2020 के नाम से पुकारी जायेगी। इसका प्रभाव नगर पंचायत मधुबन, मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों पर होगा।

2—**प्रभाव**—यह उपविधि नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ के नाम से शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3—'नगर पंचायत' का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ से है।

4—'अधिशासी अधिकारी/प्रशासक' का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, मऊ के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

5—'नगरपालिका अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

6—'भवन' का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों से है, जिनका निर्माण/पुनर्निर्माण/संशोधन/परिवर्द्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

7—यह उपविधि के लागू होते ही नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ में प्रचलित वर्तमान नियमों उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उपनियमों से असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

8—(अ) भवन निर्माण संशोधन, पुनर्निर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिससे सेक्शन प्लान फ्रन्ट एलिवेशन कम से कम दो सेलक्शन/जल निकास व्यवस्था प्लान सैप्टिक है कि ड्राइंग साइट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) ड्राइंग 1:100 के पैमाने ब्लू प्रिन्ट पेपर पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

(स) भवन निर्माण में कमरे आदि नियत क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट होगा।

9—(1) कक्ष की खिड़की आदि संवातन हेतु दीवार के क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत होगी।

(2) दरवाजे की ऊंचाई कम से कम 1.80 मीटर कुर्सी तल पर से होगी।

(3) मुख्य बाहरी दीवाल की मोटाई कम से कम 23 सेमी0 होगी, बाउन्ड्री दीवाल की मोटाई 18 सेमी0 मोटी रखी जा सकती है।

(4) दो से अधिक मंजिल की ऊंचाई के निर्माण हेतु प्रस्तावित ड्राइंग के साथ नींव को अभिकल्प भी संकल्प करना आवश्यक होगा।

10—छत की ऊंचाई कम से कम 12 फुट होगी।

11—प्रत्येक मंजिल हेतु ड्राइंग से अलग-अलग प्लान स्पष्ट करना होगा।

12—भवन निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार खाली क्षेत्र छोड़ देना होगा—

(क) 100 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 25%

(ख) 100-200 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 30%

(ग) 200-500 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 40%

(घ) 500-1000 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 50%

(ड) 1000 से अधिक वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 60%

13—ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी अर्हता, न्यूनतम सिविल आर्किटेक्ट डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा जिसके लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा आवश्यक शर्तों के साथ विज्ञप्ति निकाली जायेगी रजिस्टर्ड ड्राफ्टमैन को प्रतिवर्ष 2,000.00 रुपया शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रु0 100.00 की धनराशि ड्राफ्टमैन को कार्यालय में जमा करना होगा, उपरोक्त धनराशि न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

14—नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाले पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार कराने का प्रमाण-पत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

15—नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कार्य कराने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और अर्थ दण्ड रु0 4,000.00 वसूल किया जायेगा।

16—भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्तावित भूखण्ड का तैयार किया गया संलग्न मानचित्र सहित आवेदन-पत्र निम्नवत् निर्धारित शुल्क दर के अनुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय में दाखिला मान्य होगा।

17—भवन निर्माण का उद्देश्य बताना होगा (1) निजी आवास के लिये (2) व्यवसाय व्यापार के लिये (3) रहने व दुकान के लिये किराये पर देने के लिये (4) जन हितार्थ है तो विवरण (5) अन्य कार्य के लिये।

18—फीस की दरें—

आवासीय भवन हेतु

(1) प्रथम 100 वर्ग मीटर तक फर्श के कुल ढके भाग पर रुपया 1,000.00 तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर पर 150 रुपये देय होगा।

व्यापारिक संस्था हेतु दरें—

(2) प्रथम 50 वर्ग मीटर तक फर्श के कुल ढके भाग पर रुपया 1,000 तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर पर 200 रुपये देय होगा।

19—प्रोजेक्शन भू-खण्ड के क्षेत्र के बाहर सीढ़ी, छज्जा आदि की अनुमति नहीं होगी।

20—(1) निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्राप्त भवन निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति संलग्न कर कार्यालय नगर पंचायत में जमा करना होगा।

(2) प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रस्तावित भवन के चारों ओर के भू-स्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृत की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रस्तावित ड्राइंग की आवश्यकतानुसार आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण को सन्निकट सड़क, नाली, सीढ़ी, गली से तीन फिट अपनी जमीन छोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(5) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

(6) यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता है तो पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। नवीनीकरण अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(7) एक बार स्वीकृत की अवधि बढ़ जाने पर पुनः अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। आवेदक को नये सिरे से अवशेष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

21—निरीक्षण (1) नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण ड्राइंग के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासक/अधिकासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

(2) यदि निर्माण कार्य नियम के विपरीत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो अधिकासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोकवा देंगे और नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

(3) इस उपविधि के अनुसार दी गयी स्वीकृति के उपरान्त यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदक द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके नक्शा स्वीकृत करा लिया गया है, तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा है तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि यह उसे हटवा दे।

22—नगर पंचायत को अवैध निर्माण को रोकवाने तथा अनधिकृत निर्माण के भवन को गिराने का अधिकार धारा 186 के तहत अधिकासी अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को किसी भवन के अथवा भवन के किसी भाग के निर्माण अथवा कोई निर्माण पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने से रोक सकता है। उन दशाओं में जबकि वह ऐसा निर्माण पुनः परिवर्तन निर्माण अथवा परिवर्तन धारा 186 के अधीन अपराध समझे तो किसी भी रीति के भवन को गिराने का आदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

23—रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया लागू करना होगा।

24—कतिपय मामलों में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 180-क में आमोद स्थल की निर्माण की स्वीकृति के समय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

दण्ड

नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 239 के अन्तर्गत यह आदेश देती है कि इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लंघन करने, भंग किया जाना जुमाने से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो रु0 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ) तक हो सकेगा।

माधुरी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत मधुबन,
जनपद मऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ

22 जून, 2021 ई0

सं0 22/न0पं0मधु0/उपविधि/2021-22—शासनादेश संख्या 161/सी0एम0/नौ-9-97-23 ज0/97 नगर विकास अनुभाग-09 लखनऊ, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 के प्राप्त निर्देशों के परिपालन में तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 298(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत मधुबन अपनी सीमा में "लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क "सम्बन्धी उपविधि तैयार कर दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 व "राष्ट्रीय सहारा" दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशन इस आशय से किया गया की जिस किसी व्यक्ति को उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत

मधुबन, मऊ के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः कार्यालय, नगर पंचायत मधुबन, मऊ बोर्ड की बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को यह अपने मूल रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृत किया गया। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

1-शीर्षक—यह उप नियमावली नगर पंचायत मधुबन की "लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क" उपविधि वर्ष 2020 कहलायेगी।

2-प्रकृति—यह उप नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत सीमा में प्रभावी होगी।

3-परिभाषाएं—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उप नियमावली में।

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन के बोर्ड से है।

(घ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) 'नगर पंचायत' से तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ से है।

(च) 'नगर पंचायत की सीमाओं' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाएं या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ:) 'लाइसेंसिंग अधिकारी' से तात्पर्य नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

4—कोई भी दुकान या अन्य व्यवसाय निकाय के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने के पूर्व से चल रही समस्त दुकानों/व्यवसायों के लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5—लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक एक वर्ष के लिए होगी।

6—प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गयी धनराशि शुल्क के रूप में जमा करके लाइसेंस प्राप्त कर लें।

7—लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि लाइसेंस प्राप्तकर्ता नगर पंचायत मधुबन, जनपद मऊ कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बांटों मापों का प्रयोग करेंगे।

8—केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

9—ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित हो, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

10—नगर पंचायत प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी समय भी दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा।

11—अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेंस निर्गत कर सकता है।

12—जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

13—लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त नगर पंचायत के अन्य देय यथा गृहकर, जलकर, आदि का पृथक् से भुगतान लाइसेंस धारकों को करना होगा।

14—वाहनों के लाइसेंस न प्राप्त होने पर अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा जानवर वाली गाड़ियों के जानवर भी बन्द किया जा सकता है।

15—उपनियम की शर्तों में संशोधन बोर्ड ही कर सकता है व शर्तों के संबंध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय जारी किये जा सकते हैं।

16—नगर पंचायत समिति यदि आवश्यक समझें तो नीलामी/निविदा के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली इन्हीं शर्तों के अधीन या जैसा समिति निर्धारित करे करा सकती है।

17—प्रत्येक वर्ष में अधिकतम अप्रैल तक लाइसेंस नवीनीकृत कराना अनिवार्य होगा—

क्र० सं०	मद	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें	क्र० सं०	मद	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें
1	2	3	4	5	6
		रु०			रु०
	(अ) होटल, रेस्टोरेन्ट व क्लब		11	बेकरी (भट्ठी)	200.00
1	होटल लाजिंग, गेस्ट हाउस तथा बारात घर	1,000.00	12	हेयर कटिंग सैलून	100.00
2	तीन सितारा होटल	3,000.00	13	ब्यूटी पार्लर	100.00
3	पांच सितारा होटल	5,000.00	14	कूकिंग गैस एजेन्सी	5,000.00
	(ब) नर्सिंग होम		15	टेलरिंग हाउस	200.00
1	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,300.00	16	पेन्ट की दुकान	200.00
2	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	3,800.00	17	ज्वैलर्स (बड़े) 5 लाख के ऊपर टर्न ओवर	500.00
3	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,600.00	18	ज्वैलर्स (छोटे) 5 लाख के टर्न ओवर तक एवं 1 लाख तक	300.00
4	प्रसूति गृह (20 बेड ऊपर)	3,800.00	19	केबिल टी0वी0	500.00
5	प्राइवेट अस्पताल	3,800.00	20	आर्कीटेक्ट, कन्सल्टेन्ट विधि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्ट	1,000.00
6	पैथालोजी सेन्टर	600.00	21	बर्तन की दुकान फुटकर विक्रेता	250.00
7	एक्सरे क्लीनिक	1,300.00	22	टेन्ट की दुकान (टेन्ट हाउस)	500.00
8	डेन्टल क्लीनिक	2,600.00		(र) दुकान	
9	प्राइवेट क्लीनिक	200.00	1	पान की दुकान	50.00
	(स) परिवहन		2	चाय की दुकान	200.00
1	ऑटोरिक्शा 02 सीटर	250.00	3	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	200.00
2	आटोरिक्शा 07 सीटर (टेम्पो)	500.00	4	किताबों की दुकान (फुटकर)	250.00
			5	लकड़ी की टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	800.00
3	आटो रिक्शा 4 सीटर	300.00	6	लकड़ी की दुकान (फुटकर)	500.00

1	2	3	4	5	6
		रु०			रु०
4	मिनी बस	1,000.00	7	रेडियो मैकेनिक/टी०वी० मरम्मत, टी०वी० भाप/इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	200.00
5	बस	1,600.00	8	फर्टिलाइजर शाप	500.00
6	तांगा/खड़खड़ा	35.00	9	मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी	500.00
7	रिक्शा किराये पर	100.00	10	झाई फ्रूट फुटकर विक्रेता	200.00
8	रिक्शा(निजी चालित)	50.00	11	सब्जी की दुकान	50.00
9	ठेला/ठेलिया	65.00	12	फर्नीचर की दुकान	500.00
10	हाथ ठेला	18.00	13	क्राकरी विक्रेता फुटकर	100.00
11	बैलगाड़ी/भैसागाड़ी	18.00	14	चूड़ी विक्रेता	200.00
12	ट्रैक्टर/ट्राली	100.00	15	साइबर कैफे	200.00
	(द) पेट्रोलियम		16	पी०सी०ओ०/मोबाइल रिपेयरिंग, फोटो स्टेट की दुकान	200.00
1	पेट्रोल/डीजल पम्प (आयल कम्पनी)	5,000.00	17	कम्प्यूटर टाइपिंग	200.00
2	जनरेटर डीजल सेट (किराये पर)	500.00	18	फाइनेंस कम्पनी, चिटफण्ड	4,000.00
	(य) अन्य व्यवसाय		19	इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	8,000.00
1	आटा चक्की (स्पेलर/थालसर) धान मशीन प्रतिनग	200.00	20	पशुवधशाला (स्लाटर हाउस) बकरा प्रतिपशु	20.00
2	धुलाईगृह (लान्द्री)	200.00	21	हड्डी खाल गोदाम	700.00
3	झाईक्लीनर्स	200.00	22	बार/बियर माडल शाप	4,000.00
4	आइस्क्रीम फैक्ट्री	200.00	23	कोल्ड स्टोर	1,000.00
5	गुड़ फुटकर विक्रेता	100.00	24	बिलडर्स (रजिस्टर्ड)	3,600.00
6	किराने की दुकान	200.00	25	देशी शराब प्रति दुकान	4,000.00
7	पेठा बनाने का कारखाना	1,000.00	26	विदेशी शराब प्रति दुकान	8,000.00
8	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईट, बालू, थोक मौरंग, मार्बल टाइल्स, हार्डवेयर	1,000.00	27	बकरा मांस की दुकान/मछली की दुकान	200.00
9	बिजली के सामान के विक्रेता	200.00	28	साइकिल की दुकान/साइकिल की मरम्मत	200.00
10	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर	200.00	10	बीज भण्डार/कीटनाशक दवाओं के विक्रेता	300.00

विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु० 50.00 (पचास रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।

शास्ति

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, संख्या 2, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत मधुबन, जनपद, मऊ निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी धारा का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा जो लाइसेंस शुल्क का अधिकतम 4 गुना अथवा रु० 1,000.00 प्रतिवर्ष तक जो अधिक हो किया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी, अपराध करता रहा है। ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये 25.00 रुपया प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

माधुरी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, मधुबन,
जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 अम्बर गैस सर्विस 798/615 अतरसुइया, प्रयागराज, दिनांक 24 जून, 2021 को विघटित कर दी गयी है। फर्म में प्रथम पार्टनर मोहम्मद कलीम पुत्र स्व0 मोहम्मद नसीम, निवासी 798/615 अतरसुइया, प्रयागराज तथा द्वितीय पार्टनर संजय केसरवानी पुत्र श्री ज्ञानचन्द, निवासी 5/2 मीरापुर, प्रयागराज थे। फर्म में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की लेनदारी व देनदारी नहीं है। उक्त फर्म के साझेदारों को उक्त विघटन में कोई आपत्ति नहीं है।

संजय केसरवानी,
पुत्र श्री ज्ञान चन्द,
साझीदार,
मे0 अम्बर गैस सर्विस,
798/615 अतरसुइया, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स कृष्णा इन्फ्राटेक, दरोगा मार्केट, सैदपुर, गुलावटी, जिला-बुलन्दशहर-203408 की साझीदारी में श्री संजीव कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री बीरपाल एवं श्री बिन्नु भाटी साझीदार थे। दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को श्री बिन्नु भाटी फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुये। दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 को श्री संजीव कुमार साझीदार का स्वर्गवास होने के कारण उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री ऋषभ बंसल साझीदारी में सम्मिलित हुये। वर्तमान साझीदारी के अनुसार श्री विनोद कुमार, श्री बीरपाल एवं श्री ऋषभ बंसल साझीदार है। दिनांक 08 मार्च, 2021 की संशोधित साझीदारी के अनुसार फर्म का पता "मैन डी0एस0सी0 रोड, निकट भारत पेट्रोल पम्प, ग्राम हबीबपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201308" परिवर्तित हो गया है। साझीदार श्री विनोद कुमार का निवास पता भी "बी-253, सेक्टर-स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर" हो गया है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के

सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विनोद कुमार,
साझीदार,
मेसर्स कृष्णा इन्फ्राटेक,
पता-मैन डी0एस0सी0 रोड,
निकट भारत पेट्रोल पम्प,
ग्राम हबीबपुर, ग्रेटर नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201308।

सूचना

हमारी साझेदारी फर्म Indus Valley Food & Beverage, करखियांव, फूलपुर, पिंडरा, वाराणसी में बराबर के चार साझेदार जवाहर लाल पाठक, पवन कुमार सिंह, गीता सिंह और सुमति पाठक थे। जिसमें जवाहर लाल पाठक की मृत्यु हो जाने के बाद फर्म में नये साझेदार मयंक पाठक पुत्र स्व0 जवाहर लाल पाठक शामिल हुये हैं आज से फर्म के नये साझेदार पवन कुमार सिंह, मयंक पाठक, गीता सिंह और सुमति पाठक हैं।

पार्टनर,
पवन कुमार सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. Mishra Gas Sarvice, A-3/4-A, Trilochan Bazar, Machhodari, District. Varanasi, U.P. के पार्टनर जय प्रकाश मिश्र व मन्जु मिश्रा थे, जिसमें से श्रीमती मन्जु मिश्रा की मृत्यु दिनांक 28 अप्रैल, 2021 ई0 को हो गयी हैं एवं जया मिश्रा पुत्री श्री जय प्रकाश मिश्र व श्री प्रशान्त मिश्रा पुत्र श्री जय प्रकाश मिश्रा फर्म में सम्मिलित हुये हैं, वर्तमान में जय प्रकाश मिश्र, जया मिश्रा व प्रशान्त मिश्रा उपरोक्त फर्म के पार्टनर हैं।

प्रथम पार्टनर,
जय प्रकाश मिश्र,
M/s. Mishra Gas Sarvice,
A-3/4-A, Trilochan Bazar,
Machhodari, District Varanasi, U.P.

NOTICE

M/s. Silkrote Services Registered at 128-A, Dropdi-Vihar Laxmanpuri has been dissolved. The firm has no liability.

SACHIN KUMAR
Partner,
SILKROTE SERVICES.